

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक /1776 / सामान्य / प्र0310 / लोस्वायावि0 / 2010
प्रति,

भोपाल, दिनांक 22/2/10


1. समस्त मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
परिक्षेत्र-----
2. समस्त अधीक्षण यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंडल / परियोजना मंडल-----
3. समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खंड / परियोजना खंड / संधारण खंड -----

विषय:- भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1966 के क्रियान्वयन के संबंध में ।

-0-

भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1966 के अंतर्गत धारा-7 एवं मध्यप्रदेश नियम 2002 की धारा-24 एवं 26 के प्रावधानानुसार निर्माण विभागों के कार्य करने वाले ठेकेदारों को कर्मकार मंडल एवं श्रम विभाग में पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है ।

यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य हेतु जिस किसी भी ठेकेदार को कार्य आवंटित किया जाता है वह उपरोक्तानुसार पंजीकृत हो एवं अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।


(सुधीर सक्सेना)
प्रमुख अभियंता